

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग-1, खण्ड-1 में प्रकाशनार्थ)
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

सार्वजनिक सूचना सं0 71 (आर.ई. 2013)/2009-2014
नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2014

विषय:- वर्ष 2013-14 में निवल विदेशी मुद्रा आय के लिए भारत से सेवा लिए जाने की स्कीम (एसएफआईएस) के लिए आवेदन-प्रपत्र।

विदेश व्यापार नीति, 2009-14 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक, खण्ड-1 (परिशिष्ट और आयात निर्यात प्रपत्र) में एक संशोधन करते हैं:-

2. इस सार्वजनिक सूचना के साथ यथा संलग्न एएनएफ 3ख1 को वर्ष 2013-14 के लिए भारत से सेवा लिए जाने की स्कीम (एसएफआईएस) के तहत लाभों का दावा करने के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। मौजूदा आयात निर्यात प्रपत्र 3ख (एएनएफ 3ख) को वर्ष 2012-13 तक भारत से सेवा लिए जाने की स्कीम के लिए लाभों का दावा करने के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: वर्ष 2013-14 में विदेशी मुद्रा आय के लिए भारत से सेवा लिए जाने की स्कीम (एसएफआईएस) के तहत लाभ का दावा करने के लिए एएनएफ 3ख1 को अधिसूचित किया जा रहा है।

(प्रवीर कुमार)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई-मेल: dgft@nic.in

(फा0सं0 01/61/180/60/एम 13/पीसी-3 से जारी)

आयात निर्यात प्रपत्र 3 ख-1

वर्ष 2013-14 में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन हेतु भारत से सेवा प्रदान की गई योजना
(एसएफआईएस) के लिए आवेदन प्रपत्र

1.	आवेदक का ब्यौरा:			
i.	आयात निर्यात कोड सं.			
ii.	नाम			
iii.	पता			
iv.	दूरभाष सं.			
v.	ईमेल आईडी			
2.	आरसीएमसी ब्यौरा:			
i.	आरसीएमसी सं.			
ii.	तक वैध [दिन-माह-वर्ष]			
iii.	जारीकर्ता प्राधिकारी			
iv.	व्यापार के मुख्य क्षेत्र की दृष्टि से पंजीकृत उत्पाद/सेवाएँ			
3.	परिशिष्ट 41 के अनुसार सेवा की श्रेणी			
4.	आवेदन की आवृत्ति	वार्षिक		
5.	भारत के बाहर अथवा भारत में सेवा प्रदान करने हेतु अर्जित निवल विदेशी मुद्रा			
	सेवा प्रदाता द्वारा पात्र सेवा की आपूर्ति	अमरीकी डॉलर में अर्जित सकल विदेशी मुद्रा	विदेशी मुद्रा का अमरीकी डॉलर* में विदेशी मुद्रा का कुल व्यय/भुगतान/प्रेषित धन	अमरीकी डॉलर में अर्जित* निवल विदेशी मुद्रा
		1	2	3(1-2)
i.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53(i) के तहत भारत से किसी अन्य देश को 'सेवा' की आपूर्ति	(अनुलग्नक क के कालम 6 के कुल के अनुसार)		
ii.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (ii) के तहत भारत से भारत में किसी अन्य देश के सेवा उपभोक्ता को सेवा की आपूर्ति	(अनुलग्नक ख के कालम 6 के कुल के अनुसार)		
iii.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iii) के तहत भारत से किसी अन्य देश के भूभाग में वाणिज्यिक अथवा वास्तविक उपस्थिति के जरिए 'सेवा' की आपूर्ति	(अनुलग्नक ग के कालम 6 के कुल के अनुसार)		
iv.	विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iv) के तहत भारत में इस निर्यात के संबंध में 'सेवा' की आपूर्ति जिसके लिए मुक्त विदेशी	(अनुलग्नक घ के कालम 6 के कुल के अनुसार)		

	मुद्रा अथवा भारतीय रुपए में भुगतान किया गया है जिन्हें अन्यथा यह समझा जाता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान कर दिया गया है:		
	कुल	(अनुलग्नक ड. के कालम 6 के कुल के अनुसार)	
6.	दिनांक 01.04.2014 की स्थिति के अनुसार अमरीकी डॉलर के प्रति भारतीय रुपए की विनिमय दर		
7.	भारतीय रुपए में अर्जित समतुल्य निवल विदेशी मुद्रा (अमरीकी डॉलर X विनिमय दर में अर्जित की जानेवाली निवल विदेश मुद्रा)		
	पात्रता = अर्जित निवल विदेशी मुद्रा (रुपए) का 10 प्रतिशत		

8.	पंजीकरण पत्तन (आयात के प्रयोजनार्थ)	
9.	विभाजित प्रमाणपत्रों की अपेक्षित संख्या (प्रत्येक 5.00 लाख रुपये के गुणकों में)	
10.	आवेदन के प्रस्तुतीकरण का विवरण (इलेक्ट्रानिक रूप से आवेदन प्रस्तुत करने के मामले में)	
(i)	ई-कामर्स संदर्भ सं०	
(ii)	सर्वर पर प्रस्तुत करने की तिथि	
(iii)	भेजने हेतु क्षेत्रीय प्राधिकरण का नाम	
(iv)	बनाई गई फाइल सं०	
(v)	फाइल सं० बनाए जाने की तिथि	

* निवल विदेशी मुद्रा = विदेशी मुद्रा की सकल आय-कुल व्यय/भुगतान/प्रेषित विदेशी मुद्रा जिसमें आईईसी धारक द्वारा वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा शामिल है।

यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता है तो अर्जित विदेशी मुद्रा तथा पात्रता की गणना हेतु कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए ही किया जाएगा।

घोषणा/वचनबद्धता

1. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करते हैं कि:
 - (i) इस आवेदन में दिया गया ब्यौरा और विवरण सत्य और सही है तथा इसमें कुछ भी गुप्त अथवा छिपाया नहीं गया है। मैं/हम यह पूर्णतः समझता हूँ कि यदि आवेदन में दी गई कोई सूचना गलत अथवा असत्य पाए जाने पर मैं/हम किसी दण्डनीय कार्रवाई अथवा कानून में या अन्यथा निर्धारित अन्य परिणामों के लिए उत्तरदायी रहूंगा।
 - (ii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एफटीडीआर अधिनियम) 1992 के अंतर्गत मेरी/हमारी फर्म/कंपनी को किसी निर्यात आयात व्यवसाय अथवा कार्यकलाप को प्रारंभ करने से आईईसी संख्या का निलंबन अथवा रद्द करके रोक नहीं गया है।
 - (iii) मेरी/हमारी फर्म/कंपनी ने विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) के किसी प्रावधान के तहत निर्यात दायित्व को पूरा करने में चूक नहीं की है तथा इसे अस्वीकृत इकाई की सूची में नहीं रखा गया है।
 - (iv) एफटीपी के पैरा 9.53 के अनुसार केवल भारत में प्रदान की गई सेवाओं से अर्जित विदेशी मुद्रा को एफटीपी 2009-14 के पैरा 3.12 के अनुसार एसएफआईएस के अंतर्गत इस आवेदन में शामिल किया गया है तथा ये ऐसी किसी श्रेणी अथवा सेवा में नहीं आते हैं जो प्रक्रिया पुस्तक (एचबीपी) खण्ड-1 वर्ष 2009-14 के पैरा 3.6.1 के अनुसार पात्र न हों।

2. मैं/हम वर्ष 2010 में यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के प्रावधानों, इसके अंतर्गत जारी किए गए नियमों तथा आदेशों, एफटीपी तथा प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 वर्ष 2009-14 का पालन करने का वचन देता हूँ।

3. मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं/हम एफटीपी के पैराग्राफ 9.9 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित तथा हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत हूँ।

आवेदक के हस्ताक्षर													
नाम													
पदनाम													
अधिकारिक पता	प्लैट/प्लॉट/ब्लॉक सं०												
	गली/क्षेत्र/स्थान												
	शहर												
	राज्य												
	पिन कोड												
दूरभाष सं०	देश												
	कोड.....क्षेत्र कोड.....दूरभाष सं०												
फैक्स सं०													
ईमेल													

स्थान		
दिनांक		
प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज	(i)	आयात निर्यात प्रपत्र 3बी-1, की एक प्रति को अनुलग्नक क से ड. सहित विधिवत भरकर हस्ताक्षर करें।
	(ii)	आयात निर्यात प्रपत्र 3बी-1 के अनुलग्नक क से ड. सहित संलग्नक में दिए गए प्रारूप के अनुसार सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस प्रमाणपत्र
	(iii)	यदि लागू हो भारतीय रूपये में अर्जित आय का दस्तावेजी प्रमाण जिसे अन्यथा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में अदा किया गया माना जाता है।
टिप्पणी: आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर किए जाने चाहिए।		

सनदी लेखापाल (सीए)/लागत एवं निर्माणकार्य लेखाकार (आईसीडब्ल्यूए)/
कम्पनी सचिव (सीएस) का प्रमाणपत्र

मैंने..... की अवधि हेतु मैसर्स जिसकी आईईसी संख्या है, के निर्धारित रजिस्ट्रों और संगत रिकार्डस की जाँच कर ली है और प्रमाणित करता हूँ कि:

1.	मैंने बिल, बीजक, फार्वर्ड इनवार्ड रेमीटेंस प्रमाणपत्र (एफआईआरसी), बैंक प्राप्ति प्रमाणपत्र अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड कम्पनियों से प्रमाण-पत्र और विदेशी मुद्रा आय के प्रमाणों का परीक्षण और सत्यापन कर लिया है।				
2.	मैंने वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा पूंजीगत माल पर किए गए व्यय सहित कुल व्यय/भुगतान/विदेशी मुद्रा में भेजी गई रकम से संबंधित संगत दस्तावेजों की जांच एवं सत्यापन कर लिया है।				
3.	सेवा जिनके लिए लाभों का दावा किया गया है, प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 2009-14 के पैरा 3.6.1 के तहत यथा सूचीबद्ध अयोग्य सेवाओं एवं भेजी गई रकम को शामिल नहीं किया गया है।				
4.	न तो मैं, न ही मेरे/हमारे साझीदार उपरोक्त प्रतिष्ठान, इसकी समूह कम्पनियों या इसकी संबंधित कम्पनियों का साझीदार, निदेशक या कर्मचारी है।				
5. की अवधि के लिए (इस प्रमाणपत्र के अनुलग्नक-ड. में यथा प्रमाणित) वित्त वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित आईईसी धारक द्वारा पूंजीगत माल पर किए गए व्यय सहित भारत के बाहर या भारत में, भारत से सेवा की आपूर्ति के लिए अर्जित विदेशी मुद्रा (अनुबंध क से घ में यथा प्रमाणित) और कुल व्यय/भुगतान/विदेशी मुद्रा में भेजी गई रकम का ब्यौरा निम्नानुसार है:				
	सेवा प्रदाता की श्रेणी	प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 के परिशिष्ट 41 का क्रमांक	अर्जित कुल विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डालर में)	कुल व्यय/भुगतान/विदेशी मुद्रा में भेजी गई रकम* (अमेरिकी डालर में)	अर्जित निवल विदेशी मुद्रा* (अमेरिकी डालर में)
			1	2	3 (1-2)
क.	विदेश व्यापार नीति का पैरा 9.53 (i)		अनुबंध क के कालम 6 के कुल के अनुसार		
ख.	विदेश व्यापार नीति का पैरा 9.53 (ii)		अनुबंध ख के कालम 6 के कुल के अनुसार		
ग.	विदेश व्यापार नीति का पैरा 9.53 (iii)		अनुबंध ग के कालम 6 के कुल के अनुसार		
घ.	विदेश व्यापार नीति का पैरा 9.53 (iv)		अनुबंध घ के कालम 6 के कुल के अनुसार		
ड.	कुल			अनुबंध ड. के कालम 6 के कुल के अनुसार	
6.	01.04.2014 की स्थिति के अनुसार भारतीय रुपए के मुकाबले अमेरिकी डालर की विनिमय दर				
7.	भारतीय रुपए में अर्जित समतुल्य निवल विदेशी मुद्रा (अमेरिकी डालर में अर्जित निवल विदेशी मुद्रा X विनिमय दर)				

<p>मैं पूरी तरह से समझता हूँ कि इस प्रमाण-पत्र में दिया गया कोई विवरण यदि गलत या झूठा पाया जाए तो मुझे किसी दण्डात्मक कार्रवाई या ऐसे परिणाम जो कानून सम्मत है या अन्यथा अपेक्षित हो, का सामना करने के लिए उत्तरदायी बनाएगा।</p>												
सीए/आईसीडब्ल्यूए/सीएस का हस्ताक्षर												
हस्ताक्षरकर्ता का नाम												
पदनाम												
सदस्यता संख्या												
कार्यालय का पता	प्लैट/प्लॉट/ब्लाक सं.											
	गली/क्षेत्र/स्थान											
	शहर											
	राज्य											
	पिन कोड											
दूरभाष सं.	देश कोड.....क्षेत्र कोड.....दूरभाष सं.											
			-					-				
फैक्स सं.			-					-				
ई-मेल:												
स्थान:												
दिनांक:												

* निवल विदेशी मुद्रा = विदेशी मुद्रा की सकल आय-कुल व्यय/भुगतान/प्रेषित विदेशी मुद्रा जिसमें आईईसी धारक द्वारा वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित पूंजीगत वस्तुओं पर व्यय की गई विदेशी मुद्रा शामिल है।

यदि आईईसी धारक वस्तुओं का विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता है तो अर्जित विदेशी मुद्रा तथा पात्रता की गणना हेतु कुल व्यय/भुगतान/प्रेषण केवल सेवा क्षेत्र के लिए ही किया जाएगा।

अनुलग्नक-क

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (i) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना।

क्रम सं.	विवरण	सौदे की तिथि	मुक्त विदेशी मुद्रा में आय (सौदा लागत की मुद्रा में राशि)	अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन के लिए सौदा लागत की तिथि पर विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर में समतुल्य (अर्थात 4 X 5)
1	2	3	4	5	6
					कुल

अनुलग्नक-ख

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (ii) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना।

क्रम सं.	विवरण	सौदे की तिथि	मुक्त विदेशी मुद्रा की आय (सौदा लागत की मुद्रा में राशि)	अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन के लिए सौदा लागत की तिथि पर विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर में समतुल्य (अर्थात 4 X 5)
1	2	3	4	5	6
					कुल

अनुलग्नक-ग

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iii) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना।

क्रम सं.	विवरण	सौदे की तिथि	मुक्त विदेशी मुद्रा की आय (सौदा लागत की मुद्रा में राशि)	अमेरिकी डॉलर में परिवर्तन के लिए सौदा लागत की तिथि पर विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर में समतुल्य (अर्थात 4 X 5)
1	2	3	4	5	6
					कुल

अनुलग्नक-घ

विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.53 (iv) के तहत शामिल सेवाओं के लिए विदेशी मुद्रा आय की गणना।

क्रम सं०	विवरण यदि कोई है	सौदा करने की तिथि	मुक्त विदेशी मुद्रा अथवा भारतीय रुपयों में आय जिसे आरबीआई द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में अन्यथा चुकाया गया मान लिया गया है। (सौदे की मुद्रा की राशि)	अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने के लिए सौदा करने की तिथि पर विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर के समतुल्य (अर्थात् 4X5)
1	2	3	4	5	6

अनुलग्नक-ङ

वित्तीय वर्ष में कुल खर्चों/अदायगी/छूटों की गणना

क्रम सं०	विवरण	खर्चों/अदायगी/प्रेषित रकम के सौदे की तिथि	सौदा की मुद्रा में खर्चों की राशि (कृपया नीचे दिए गए अनुदेश 3 को देखें)	अमेरिकी डॉलर में परिवर्तित करने के लिए सौदा करने की तिथि पर विनिमय दर	अमेरिकी डॉलर के समतुल्य (अर्थात् 4X5)
1	2	3	4	5	6
कुल					

अनुलग्नक क से ड. तक भरने के लिए दिशा-निर्देश

- यदि राशि शून्य है तो भी अनुलग्नक क से ड. तक के सभी कॉलमों को भरना आवश्यक है।
- माह के लिए परिवर्तन के लिए विनिमय दर सीमाशुल्क विभाग द्वारा यथा अधिसूचित दर होगी।
- अनुलग्नक ड. के प्रयोजन के लिए खर्चों से आशय वित्तीय वर्ष में सेवा क्षेत्र से संबंधित, आईईसी धारक द्वारा पूंजीगत माल पर खर्च की गई राशि सहित विदेशी मुद्रा के कुल खर्चों/अदायगी/प्रेषित रकम शामिल हैं।

यदि आईईसी धारक माल का विनिर्माता होने के साथ-साथ सेवा प्रदायक भी है तो पात्रता की गणना के लिए विदेशी मुद्रा और कुल खर्चों/अदायगी/प्रेषित रकम केवल सेवा-क्षेत्र की होगी।